हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 83

वीरवार, 10 सितम्बर, 2020/19 भाद्रपद,1942 (शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 09.09.2020 को मुख्य मंत्री द्वारा नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर के दौरान कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों को असंसदीय शब्द कहने संबंधी विषय उठाया तथा माननीय अध्यक्ष से इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने का अनुरोध किया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि असंसदीय व्यवहार की पहल विपक्ष द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने सदन के बीच में आकर उनका नाम लेकर अशोभनीय नारे लगाए। मुख्य मंत्री ने कहा कि गर्मागर्म माहौल के बीच में परिस्थिति के अनुसार कही गई बातों से अगर विपक्ष की भावनाएं आहत होती हैं तो यही बात सत्ता पक्ष के साथ भी है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा की वह रिकॉर्ड देख कर ही इस बारे में निर्णय करेंगे।

2. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2447 व 2530 (स्थगित) पर प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2980 से 2982 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2983 से 3021 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1016 व 1030 (स्थागित) तथा 1098 से 1121 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा-45(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःई.डी.एन.-ए-ख(2)150/2010-लूज़ दिनांक 27.02.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2020 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 69वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 26वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन जोकि आयुर्वेद विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जोकि कृषि विभाग की गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

कर्नल इन्द्र सिंह ने कार्य-सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

सर्वप्रथम **श्री रमेश चंद ध्वाला** ने पिछले सत्र में दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. श्री अर्जुन सिंह
3. श्री राजेन्द्र राणा
4. श्री होशयार सिंह

(12.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

संकल्प पर चर्चा जारी -

5. श्री जगत सिंह नेगी
6. श्री राकेश सिंघा
7. श्री सतपाल सिंह रायजादा

श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रामेश चंद ध्वाला ने स्पष्टीकरण मांग।

वन मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(ii) **श्री मुकेश अग्निहोत्री** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Interlocking tiles के इस्तेमाल में निरन्तर बढ़ौतरी के कारण इनके निर्माण की गुणवता, आकार, रंग, मुल्य नियन्त्रण तथा इन्हें बिछाने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

(03.45 बजे माननीय उपाध्यक्ष पादासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राकेश जम्वाल
2. श्री राजेन्द्र राणा
3. (कर्नल) इन्द्र सिंह
4. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
5. श्री बलबीर सिंह वर्मा
6. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
7. श्री किशोरी लाल
8. श्री नरेन्द्र ठाकुर

(04.40 बजे माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

9. श्री होशियार सिंह
10. श्री अरुण कुमार
11. श्री पवन कुमार काजल

12. श्री नन्द लाल

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(iii) **श्री राकेश सिंघा** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-

"This House may discuss a Policy for recruitment and service conditions, other than those posts for which R&P rules exist."

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने चर्चा में भाग लिया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

सदन की बैठक 05.00 बजे अपराह्न शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।